(9)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 103/2020

अगराराम पुत्र श्री बक्साराम, जाति जाट, निवासी जवाहरपुरा, पो0 नूआं, पुलिस थाना मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 2/91 डीएम झुंझुनूं

––

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.08.2021

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां दर्ज अपील सं0 205/14 (आरसीएमएस नं0 2014/00042 उनवानी अगराराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे पारित आदेश दिनांक 19.02.2019 की अनुपालना मे पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर अपने पक्ष मे साक्ष्य एवं सबूत पेश करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश पूनियां उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप सार इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा एक आर्म्स लाईसेन्स प्रार्थी के नाम जारी किया हुआ है जिसे वह समय–समय पर नवीनीकरण कराता रहा है तथा वह लाईसेन्स दिनांक 31.12.2013 तक वैध था तथा उक्त वैध अवधि की समाप्ति से पूर्व ही प्रार्थी ने उक्त आर्म्स लाईसेन्स को आगामी वर्षो के लिए नवीनीकरण कराने बाबत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा मनमानी तौर पर उक्त आर्म्स लाईसेन्स का नवीनीकरण नही कर आदेश क्रमांक एफ 16(18)न्याय/नवी0/2014/18 दिनांक 09.07.2014 पारित कर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स सं0 02/1991 तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर शस्त्र लाईसेन्स मे दर्ज शस्त्र को तुरन्त पुलिस थाना मण्डावा मे जमा कराने के आदेश दिये थे जिसके विरूद्व प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर मे अपील सं0 205/14 (आरसीएमएस नं0 2014/00042 उनवानी अगराराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश की थी जिसमे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 मे न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 को निरस्त कर न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(10)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं ने पत्रांक 152 दिनांक 12.04.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदक की उम्र 90 वर्ष के करीब है। प्रार्थी को कानो से कम सुनता है एवं आंखों से कम दिखता है। प्रार्थी वृद्व हो चुका है जो चलने फिरने मे असमर्थ है। आवेदक शस्त्र धारण करने/संचालन करने मे सक्षम नही है। थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान उपर्युक्त वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी पर शराब ब्रिकी का एक मुकदमा था जिससे इस प्रकरण का कोई संबंध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की उम्र 90 वर्ष के करीब है। प्रार्थी को कानो से कम सुनता है एवं आंखों से कम दिखता है। प्रार्थी वृद्व हो चुका है जो चलने फिरने मे असमर्थ है। आवेदक शस्त्र धारण करने/संचालन करने मे सक्षम नही है। जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे दुबारा कराई गई जांच रिपोर्ट मे जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 152 दिनांक 12.04.2021 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी की उम्र 90 वर्ष के करीब है। प्रार्थी को कानो से कम सुनता है एवं आंखों से कम दिखता है। प्रार्थी वृद्व हो चुका है जो चलने फिरने मे असमर्थ है। आवेदक शस्त्र धारण करने/संचालन करने मे सक्षम नही है। थानाधिकारी एवं वृत्ताधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही है। हम जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से सहमत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मूल रिकार्ड सहित न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित हो। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं